

**अधिसूचना सं० 3/2018 – सीमाशुल्क**

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2018

**सा.का.नि.** (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की प्रत्येक अधिसूचनाओं में एतद्वारा संशोधन करती है जिसे उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तरीके से और आगे भी संशोधित किया जाएगा, यथा :-

**सारणी**

क्र. सं०.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	91/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009, जिसे सा.का.नि. 657(अ), दिनांक 11 सितम्बर 2009, के तहत प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में, "धरमतर" शब्द के स्थान पर "धामरा, धरमतर, दिघी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.	92/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009, जिसे सा.का.नि. 658(अ), दिनांक 11 सितम्बर 2009, के तहत प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में, "धरमतर" शब्द के स्थान पर "धामरा, धरमतर, दिघी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	93/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009, जिसे सा.का.नि. 659(अ), दिनांक 11 सितम्बर 2009, के तहत प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में, "धरमतर" शब्द के स्थान पर "धामरा, धरमतर, दिघी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4.	94/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009, जिसे सा.का.नि. 660(अ), दिनांक 11 सितम्बर 2009, के तहत प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में, "धरमतर" शब्द के स्थान पर "धामरा, धरमतर, दिघी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5.	95/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009, जिसे सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 11 सितम्बर 2009, के तहत प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में, "धरमतर" शब्द के स्थान पर "धामरा, धरमतर, दिघी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6.	96/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009, जिसे सा.का.नि. 662(अ), दिनांक 11 सितम्बर 2009, के तहत प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शर्त (vii) में, "धरमतर" शब्द के स्थान पर "धामरा, धरमतर, दिघी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
7.	97/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009, जिसे सा.का.नि. 663(अ), दिनांक 11 सितम्बर 2009, के तहत प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में, "धरमतर" शब्द के स्थान पर "धामरा, धरमतर, दिघी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
8.	98/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009, जिसे सा.का.नि. 664(अ), दिनांक 11 सितम्बर 2009, के तहत प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शर्त (vi) में, "धरमतर" शब्द के स्थान पर "धामरा, धरमतर, दिघी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
9.	99/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009, जिसे सा.का.नि. 665(अ), दिनांक 11 सितम्बर 2009, के तहत प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शर्त (vii) में, "धरमतर" शब्द के स्थान पर "धामरा, धरमतर, दिघी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
10.	100/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 11 सितम्बर 2009, के तहत प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, शर्त (10) में, "धरमतर" शब्द के स्थान पर "धामरा, धरमतर, दिघी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
11.	101/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009, जिसे सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 11 सितम्बर 2009, के तहत प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, शर्त (13) में, "धरमतर" शब्द के स्थान पर "धामरा, धरमतर, दिघी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।





- (17) मूल अधिसूचना सं. 06/2013-सीमा शुल्क, दिनांक 18 फरवरी, 2013 को सा.का.नि. संख्या 100 (अ) दिनांक 18 फरवरी, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 26/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 727(अ), दिनांक 29 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
- (18) मूल अधिसूचना सं. 22/2013-सीमा शुल्क, दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को सा.का.नि. संख्या 248 (अ) दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 26/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 727(अ), दिनांक 29 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
- (19) मूल अधिसूचना सं. 23/2013-सीमा शुल्क, दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को सा.का.नि. संख्या 249 (अ) दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 26/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 727(अ), दिनांक 29 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
- (20) मूल अधिसूचना सं. 16/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. संख्या 252 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 79/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 1299 (अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

\*\*\*\*\*